

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में की गई कार्यवाही—

01—थाना कोतवाली:— पुलिस द्वारा 36 भैंस वंशीय पशु व 18 रस्सी के टुकड़े बरामद कर 04 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार—

दिनांक 03-09-2020 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर मौ0 घेर मर्दान खां ऊंचा कसाब खां में अभियुक्त फराज के मकान से 36 भैंस वंशीय पशु (34 कटरे व 02 कटिया) जिनके पैर व मुंह रस्सी से करतापूर्वक बंधे हुए थे, बरामद किये गये। मौके से 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 07 अभियुक्तगण पुलिस को देखकर फरार हो गये। फरार अभियुक्तगण की गिरफ्तार के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

01—फैजान पुत्र युसुफ निवासी चरखवाली मस्जिद घेर मर्दान खां थाना कोतवाली, रामपुर।

02—जिकरान पुत्र याकूब निवासी चरखवाली मस्जिद घेर मर्दान खां थाना कोतवाली, रामपुर।

03—शावेज पुत्र एजाज निवासी दोमहला थाना कोतवाली, रामपुर।

04—समीर पुत्र छुन्नू भाई निवासी पहाडी गेट थाना सिविल लाइन, रामपुर।

कार्यवाही—

मु0अ0सं0—173/20 धारा 188,269 भादवि व 3 महामारी अधिनियम एवं 3/11 पशु कूरता अधिनियम फैजान आदि 11 नफर।

02-थाना सिविल लाइन :- 03 अद्द नाजायज तमंचे व 02 फर्जी आधार कार्ड के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 02-09-2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 03 अद्द नाजायज तमंचे व 02 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 01-शहजेब खां पुत्र सुल्तान खां निवासी सैजनी नानकार नई बस्ती थाना गंज, रामपुर।
- 02-फईम पुत्र नवी अहमद निवासी जुम्मा कालानी नानकार थाना गंज, रामपुर।
- 03-निजाम पुत्र मौ0 अहमद निवासी रोशनबाग थाना सिविल लाइन, रामपुर।

बरामदगी-

- 01-अभियुक्त शहजेब खां के कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर व 01 फर्जी आधार कार्ड बरामद।
- 02-अभियुक्त फईम के कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 12 बोर व 01 फर्जी आधार कार्ड बरामद।
- 03-अभियुक्त निजाम के कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर।

कार्यवाही-

- 01-मु0अ0सं0-258/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 420 भादवि बनाम शहजेब खां।
- 02-मु0अ0सं0-259/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 420,467,468,471 भादवि बनाम फईम।
- 03-मु0अ0सं0-260/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम निजाम।



थाना सिविल लाइन :- 03 अद्द नाजायज तमंचे व 02 फर्जी आधार कार्ड के साथ 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

03—थाना कोतवाली :-एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 03-09-2020 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा मौ० यासीन पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली, रामपुर को किला पश्चिमी गेट से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर 174/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना कोतवाली :-एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

04—थाना खजुरिया :-70 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार—

दिनांक 02-09-2020 को थाना खजुरिया, रामपुर पुलिस द्वारा सतनाम सिंह उर्फ सत्ता पुत्र पूर्ण सिंह निवासी टेहरी ख्वाजा थाना खजुरिया को 40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ टेहरी ख्वाजा चौराहा से तथा भीमसेन पुत्र भुल्ली निवासी बलखेड़ा थाना खजुरिया को 30 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ ग्राम बलखेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0-66/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम सतनाम सिंह उर्फ सत्ता तथा मु0अ0सं0-67/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम भीमसेन पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05—थाना स्वार :-50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 02-09-2020 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा लखविन्दर उर्फ लख्खा पुत्र केहर सिंह नि0 पुश्वाडा मजरा जोधावाला थाना स्वार, रामपुर को जोधावाला से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 50 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना स्वार पर मु0अ0सं0-394/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06—थाना बिलासपुर :-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 03-09-2020 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा बाजू पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना बिलासपुर, रामपुर को मुबारकपुर की पुलिया से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0-301/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना बिलासपुर :-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

07-थाना शहजादनगर :-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 03-09-2020 को थाना शहजादनगर, रामपुर पुलिस द्वारा ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल निवासी चमरपुरा थाना शहजादनगर, रामपुर को मोबीनपुर की पुलिस से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 40 लीटर नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पर मु0अ0सं0-197/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना शहजादनगर :-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

08—थाना मिलक :-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 02-09-2020 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा सुशील कुमार पुत्र राम प्रकाश निवासी आगापुर का मजरा थाना मिलक, रामपुर को आगापुर का मजरा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 02 प्लास्टिक की जरी केनों में 20-20 लीटर (कुल-40 लीटर) नाजायज शराबखाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर मु0अ0सं0-323/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना मिलक :-40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

09—थाना गंज :-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 03-09-2020 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त मुन्ना पुत्र शब्बीर निवासी बजरिया खानसामा थाना गंज, रामपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।